# शिक्षा मंत्रालय

## मांग संख्या 26

## उच्चतर शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | | संशोधित 2024-2025 | | | बजट 2025-2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 61933.79 | 7.32 | 61941.11 | 63309.20 | 11.06 | 63320.26 | 62308.38 | 8.56 | 62316.94 | 69064.94 | 10.27 | 69075.21 |
| *वसूलियां* | *-6548.43* | ... | -6548.43 | *-15700.49* | ... | *-15700.49* | *-15834.59* | ... | *-15834.59* | *-18997.26* | ... | *-18997.26* |
| *प्राप्तियां* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **निवल** | **55385.36** | **7.32** | **55392.68** | **47608.71** | **11.06** | **47619.77** | **46473.79** | **8.56** | **46482.35** | **50067.68** | **10.27** | **50077.95** |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| **केन्द्र का स्थापना व्यय** | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 134.57 | 2.55 | 137.12 | 157.85 | 4.65 | 162.50 | 151.65 | 5.08 | 156.73 | 167.23 | 5.05 | 172.28 |
| 2. हिन्दी निदेशालय | 16.28 | ... | 16.28 | 16.54 | ... | 16.54 | 20.95 | ... | 20.95 | 25.25 | ... | 25.25 |
| 3. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) | 12.13 | ... | 12.13 | 14.59 | 0.46 | 15.05 | 17.00 | 0.11 | 17.11 | 17.74 | 0.03 | 17.77 |
| 4. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र | 38.05 | 4.77 | 42.82 | 40.32 | 5.75 | 46.07 | 37.56 | 3.25 | 40.81 | 43.50 | 5.10 | 48.60 |
| 5. विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान | 9.37 | ... | 9.37 | 11.15 | 0.20 | 11.35 | 9.27 | 0.12 | 9.39 | 11.08 | 0.09 | 11.17 |
| **जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय** | **210.40** | **7.32** | **217.72** | **240.45** | **11.06** | **251.51** | **236.43** | **8.56** | **244.99** | **264.80** | **10.27** | **275.07** |
| **केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं** | | | | | | | | | | | | |
| उच्चतर शिक्षा | | | | | | | | | | | | |
| 6. राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक | 0.26 | ... | 0.26 | 0.27 | ... | 0.27 | 0.25 | ... | 0.25 | 0.24 | ... | 0.24 |
| 7. विश्व स्तरीय संस्थान | 1436.28 | ... | 1436.28 | 1800.00 | ... | 1800.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 | 475.12 | ... | 475.12 |
| 8. प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास | 1.31 | ... | 1.31 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 9. भारतीय ज्ञान प्रणाली | 3.09 | ... | 3.09 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 50.00 | ... | 50.00 |
| 10. उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ग्लू अनुदान | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| **जोड़-उच्चतर शिक्षा** | **1440.94** | **...** | **1440.94** | **1813.27** | **...** | **1813.27** | **1013.25** | **...** | **1013.25** | **528.36** | **...** | **528.36** |
| छात्र वित्तीय सहायता | | | | | | | | | | | | |
| *11. पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम - यूएसपी) योजना* | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना | 1097.86 | ... | 1097.86 | 1558.00 | ... | 1558.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 | 1560.00 | ... | 1560.00 |
| 11.02 मस्क-पीएम-यूएसपी को अंतरण | ... | ... | ... | 1558.00 | ... | 1558.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 | 1550.00 | ... | 1550.00 |
| 11.03 मस्क-पीएम-यूएसपी से पूरी की गई राशि | -1000.00 | ... | -1000.00 | -1558.00 | ... | -1558.00 | -1000.00 | ... | -1000.00 | -1550.00 | ... | -1550.00 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | | संशोधित 2024-2025 | | | बजट 2025-2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| *निवल* | *97.86* | ... | *97.86* | *1558.00* | ... | *1558.00* | *1000.00* | ... | *1000.00* | *1560.00* | ... | *1560.00* |
| 12. पीएम शोध अध्येतावृत्ति | 300.09 | ... | 300.09 | 350.00 | ... | 350.00 | 282.40 | ... | 282.40 | 600.00 | ... | 600.00 |
| **जोड़-छात्र वित्तीय सहायता** | **397.95** | **...** | **397.95** | **1908.00** | **...** | **1908.00** | **1282.40** | **...** | **1282.40** | **2160.00** | **...** | **2160.00** |
| **डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग** | | | | | | | | | | | | |
| 13. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन | 395.82 | ... | 395.82 | 480.00 | ... | 480.00 | 1575.00 | ... | 1575.00 | 655.00 | ... | 655.00 |
| 14. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) | 5.03 | ... | 5.03 | 15.00 | ... | 15.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 15. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) | 4.00 | ... | 4.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 16.00 | ... | 16.00 |
| **जोड़-डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग** | **404.85** | **...** | **404.85** | **505.00** | **...** | **505.00** | **1595.00** | **...** | **1595.00** | **681.00** | **...** | **681.00** |
| **अनुसंधान और नवाचार** | | | | | | | | | | | | |
| 16. राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल | 6.45 | ... | 6.45 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 17. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल | 53.00 | ... | 53.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. उन्नत भारत अभियान | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 7.00 | ... | 7.00 |
| 19. इंप्रिंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव) | ... | ... | ... | 10.00 | ... | 10.00 | 2.50 | ... | 2.50 | ... | ... | ... |
| 20. शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क) | 9.00 | ... | 9.00 | 100.00 | ... | 100.00 | 40.00 | ... | 40.00 | 50.00 | ... | 50.00 |
| 21. विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स) | 58.00 | ... | 58.00 | 30.00 | ... | 30.00 | 15.00 | ... | 15.00 | 40.00 | ... | 40.00 |
| 22. तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी (एमईआरआईटीई) | 4.49 | ... | 4.49 | 200.00 | ... | 200.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 220.00 | ... | 220.00 |
| **जोड़-अनुसंधान और नवाचार** | **135.94** | **...** | **135.94** | **355.00** | **...** | **355.00** | **74.50** | **...** | **74.50** | **327.00** | **...** | **327.00** |
| 23. पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन | 22.50 | ... | 22.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24. मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) | ... | ... | ... | 100.00 | ... | 100.00 | 50.00 | ... | 50.00 | 70.00 | ... | 70.00 |
| 25. राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग फ्रेमवर्क | 4.50 | ... | 4.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26. वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) | ... | ... | ... | 10.00 | ... | 10.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 15.00 | ... | 15.00 |
| 27. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) | 460.00 | ... | 460.00 | 600.00 | ... | 600.00 | 750.00 | ... | 750.00 | 1178.00 | ... | 1178.00 |
| 28. भारत में अध्ययन | 7.50 | ... | 7.50 | 20.00 | ... | 20.00 | 12.00 | ... | 12.00 | 14.00 | ... | 14.00 |
| 29. आसियान अध्येतावृत्ति | 1.52 | ... | 1.52 | 2.66 | ... | 2.66 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.52 | ... | 2.52 |
| 30. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) | 16.00 | ... | 16.00 | 255.00 | ... | 255.00 | 110.00 | ... | 110.00 | 200.00 | ... | 200.00 |
| **चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजना** | | | | | | | | | | | | |
| 31. शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण | 50.00 | ... | 50.00 | 104.00 | ... | 104.00 | 104.00 | ... | 104.00 | ... | ... | ... |
| **जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं** | **2941.70** | **...** | **2941.70** | **5672.93** | **...** | **5672.93** | **4998.15** | **...** | **4998.15** | **5175.88** | **...** | **5175.88** |
| **केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय** | | | | | | | | | | | | |
| **सांविधिक और विनियामक निकाय** | | | | | | | | | | | | |
| *32. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)* | | | | | | | | | | | | |
| 32.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) | 6324.12 | ... | 6324.12 | 2500.00 | ... | 2500.00 | 3014.00 | ... | 3014.00 | 3335.97 | ... | 3335.97 |
| 32.02 मस्क-यूजीसी को अंतरण | ... | ... | ... | 2000.00 | ... | 2000.00 | 2034.59 | ... | 2034.59 | 2447.26 | ... | 2447.26 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | | संशोधित 2024-2025 | | | बजट 2025-2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 32.03 मस्क-यूजीसी से पूरी की गई राशि | -1000.00 | ... | -1000.00 | -2000.00 | ... | -2000.00 | -2034.59 | ... | -2034.59 | -2447.26 | ... | -2447.26 |
| *निवल* | *5324.12* | ... | *5324.12* | *2500.00* | ... | *2500.00* | *3014.00* | ... | *3014.00* | *3335.97* | ... | *3335.97* |
| 33. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद | 352.25 | ... | 352.25 | 400.00 | ... | 400.00 | 137.50 | ... | 137.50 | 200.00 | ... | 200.00 |
| **जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय** | **5676.37** | **...** | **5676.37** | **2900.00** | **...** | **2900.00** | **3151.50** | **...** | **3151.50** | **3535.97** | **...** | **3535.97** |
| **स्वायत्त निकाय** | | | | | | | | | | | | |
| *34. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयू)* | | | | | | | | | | | | |
| 34.01 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को सहायता | 11718.23 | ... | 11718.23 | 15472.00 | ... | 15472.00 | 15538.23 | ... | 15538.23 | 16146.11 | ... | 16146.11 |
| 34.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज | 81.96 | ... | 81.96 | 84.00 | ... | 84.00 | 87.25 | ... | 87.25 | 83.06 | ... | 83.06 |
| 34.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी | 312.14 | ... | 312.14 | 372.00 | ... | 372.00 | 372.14 | ... | 372.14 | 462.14 | ... | 462.14 |
| 34.04 मस्क-सीयू को अंतरण | ... | ... | ... | 5000.00 | ... | 5000.00 | 4500.00 | ... | 4500.00 | 5500.00 | ... | 5500.00 |
| 34.05 मस्क-सीयू से पूरी की गई राशि | -1000.00 | ... | -1000.00 | -5000.00 | ... | -5000.00 | -4500.00 | ... | -4500.00 | -5500.00 | ... | -5500.00 |
| *निवल* | *11112.33* | ... | *11112.33* | *15928.00* | ... | *15928.00* | *15997.62* | ... | *15997.62* | *16691.31* | ... | *16691.31* |
| 35. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश | 112.08 | ... | 112.08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय | 36.40 | ... | 36.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37. केंद्र सरकार द्वारा संवर्धित मानद विश्वविद्यालय | 495.01 | ... | 495.01 | 596.00 | ... | 596.00 | 573.00 | ... | 573.00 | 604.00 | ... | 604.00 |
| **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान** | | | | | | | | | | | | |
| *38. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता* | | | | | | | | | | | | |
| 38.01 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुदान | 9224.74 | ... | 9224.74 | 9632.50 | ... | 9632.50 | 9703.13 | ... | 9703.13 | 10659.00 | ... | 10659.00 |
| 38.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज | 195.23 | ... | 195.23 | 270.00 | ... | 270.00 | 220.00 | ... | 220.00 | 240.00 | ... | 240.00 |
| 38.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी | 300.00 | ... | 300.00 | 300.00 | ... | 300.00 | 422.00 | ... | 422.00 | 450.00 | ... | 450.00 |
| 38.04 मस्क-आईआईटी को अंतरण | ... | ... | ... | 2642.49 | ... | 2642.49 | 3000.00 | ... | 3000.00 | 4000.00 | ... | 4000.00 |
| 38.05 मस्क-आईआईटी से पूरी की गई राशि | -1500.00 | ... | -1500.00 | -2642.49 | ... | -2642.49 | -3000.00 | ... | -3000.00 | -4000.00 | ... | -4000.00 |
| *निवल* | *8219.97* | ... | *8219.97* | *10202.50* | ... | *10202.50* | *10345.13* | ... | *10345.13* | *11349.00* | ... | *11349.00* |
| 39. आईआईटी हैदराबाद (ईएपी) | 479.74 | ... | 479.74 | 122.00 | ... | 122.00 | 122.00 | ... | 122.00 | ... | ... | ... |
| **जोड़-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान** | **8699.71** | **...** | **8699.71** | **10324.50** | **...** | **10324.50** | **10467.13** | **...** | **10467.13** | **11349.00** | **...** | **11349.00** |
| **भारतीय प्रबंधन संस्थान** | | | | | | | | | | | | |
| *40. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता* | | | | | | | | | | | | |
| 40.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद | 12.18 | ... | 12.18 | 12.00 | ... | 12.00 | 16.00 | ... | 16.00 | 30.00 | ... | 30.00 |
| 40.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज | 46.34 | ... | 46.34 | 60.00 | ... | 60.00 | 62.00 | ... | 62.00 | 72.00 | ... | 72.00 |
| 40.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी | 248.72 | ... | 248.72 | 140.21 | ... | 140.21 | 149.89 | ... | 149.89 | 149.89 | ... | 149.89 |
| *जोड़- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता* | *307.24* | ... | *307.24* | *212.21* | ... | *212.21* | *227.89* | ... | *227.89* | *251.89* | ... | *251.89* |
| *41. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता* | | | | | | | | | | | | |
| 41.01 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और आईआईईएसटी को अनुदान | 4651.88 | ... | 4651.88 | 4839.40 | ... | 4839.40 | 5180.20 | ... | 5180.20 | 5473.87 | ... | 5473.87 |
| 41.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज | 40.54 | ... | 40.54 | 80.60 | ... | 80.60 | 62.60 | ... | 62.60 | 80.60 | ... | 80.60 |
| 41.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी | 60.93 | ... | 60.93 | 120.00 | ... | 120.00 | 133.00 | ... | 133.00 | 133.00 | ... | 133.00 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | | संशोधित 2024-2025 | | | बजट 2025-2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 41.04 मस्क-एनआईटी को अंतरण | ... | ... | ... | 4500.00 | ... | 4500.00 | 5300.00 | ... | 5300.00 | 5500.00 | ... | 5500.00 |
| 41.05 मस्क-एनआईटी से पूरी की गई राशि | -1500.00 | ... | -1500.00 | -4500.00 | ... | -4500.00 | -5300.00 | ... | -5300.00 | -5500.00 | ... | -5500.00 |
| *निवल* | *3253.35* | ... | *3253.35* | *5040.00* | ... | *5040.00* | *5375.80* | ... | *5375.80* | *5687.47* | ... | *5687.47* |
| **भारतीय विज्ञान शिक्षा एव अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)** | | | | | | | | | | | | |
| *42. भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता* | | | | | | | | | | | | |
| 42.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद | 1446.29 | ... | 1446.29 | 1529.00 | ... | 1529.00 | 1468.75 | ... | 1468.75 | 1331.33 | ... | 1331.33 |
| 42.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज | 1.20 | ... | 1.20 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 42.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी | ... | ... | ... | 6.00 | ... | 6.00 | 6.00 | ... | 6.00 | 12.00 | ... | 12.00 |
| *जोड़- भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता* | *1447.49* | ... | *1447.49* | *1540.00* | ... | *1540.00* | *1479.75* | ... | *1479.75* | *1353.33* | ... | *1353.33* |
| *43. भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता* | | | | | | | | | | | | |
| 43.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद | 890.36 | ... | 890.36 | 913.77 | ... | 913.77 | 843.77 | ... | 843.77 | 894.00 | ... | 894.00 |
| 43.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज | 2.72 | ... | 2.72 | 4.50 | ... | 4.50 | 4.50 | ... | 4.50 | 6.00 | ... | 6.00 |
| *जोड़- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता* | *893.08* | ... | *893.08* | *918.27* | ... | *918.27* | *848.27* | ... | *848.27* | *900.00* | ... | *900.00* |
| **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीएस)** | | | | | | | | | | | | |
| *44. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता* | | | | | | | | | | | | |
| 44.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद | 373.11 | ... | 373.11 | 314.91 | ... | 314.91 | 350.67 | ... | 350.67 | 397.00 | ... | 397.00 |
| 44.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 5.00 | ... | 5.00 |
| 44.03 एचईएफए ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 |
| *जोड़- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता* | *373.11* | ... | *373.11* | *315.91* | ... | *315.91* | *351.67* | ... | *351.67* | *407.00* | ... | *407.00* |
| 45. सरकारी निजी भागीदारी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना | 141.25 | ... | 141.25 | 200.00 | ... | 200.00 | 87.76 | ... | 87.76 | 115.20 | ... | 115.20 |
| **जोड़-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीएस)** | **514.36** | **...** | **514.36** | **515.91** | **...** | **515.91** | **439.43** | **...** | **439.43** | **522.20** | **...** | **522.20** |
| 46. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान | 275.74 | ... | 275.74 | 315.00 | ... | 315.00 | 321.70 | ... | 321.70 | 332.80 | ... | 332.80 |
| 47. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान | 272.30 | ... | 272.30 | 310.10 | ... | 310.10 | 308.44 | ... | 308.44 | 347.03 | ... | 347.03 |
| 48. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई | 73.48 | ... | 73.48 | 37.45 | ... | 37.45 | 38.85 | ... | 38.85 | ... | ... | ... |
| 49. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर | 26.81 | ... | 26.81 | 38.76 | ... | 38.76 | 37.15 | ... | 37.15 | 43.00 | ... | 43.00 |
| 50. आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए) | 150.10 | ... | 150.10 | 185.87 | ... | 185.87 | 154.50 | ... | 154.50 | 169.00 | ... | 169.00 |
| 51. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) | 124.76 | ... | 124.76 | 140.00 | ... | 140.00 | 130.00 | ... | 130.00 | 147.00 | ... | 147.00 |
| 52. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) | 100.50 | ... | 100.50 | 110.00 | ... | 110.00 | 156.50 | ... | 156.50 | 159.00 | ... | 159.00 |
| *53. अन्य संस्थानों को सहायता* | | | | | | | | | | | | |
| 53.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद | 462.02 | ... | 462.02 | 562.33 | ... | 562.33 | 538.33 | ... | 538.33 | 613.00 | ... | 613.00 |
| 53.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज | 0.23 | ... | 0.23 | 3.00 | ... | 3.00 | 3.00 | ... | 3.00 | 1.00 | ... | 1.00 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | | संशोधित 2024-2025 | | | बजट 2025-2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| *जोड़- अन्य संस्थानों को सहायता* | *462.25* | *...* | *462.25* | *565.33* | *...* | *565.33* | *541.33* | *...* | *541.33* | *614.00* | *...* | *614.00* |
| 54. राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय | ... | ... | ... | 100.00 | ... | 100.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 25.00 | ... | 25.00 |
| **जोड़-स्वायत्त निकाय** | **28356.99** | **...** | **28356.99** | **36877.40** | **...** | **36877.40** | **37122.36** | **...** | **37122.36** | **39196.03** | **...** | **39196.03** |
| **अन्य** | | | | | | | | | | | | |
| 55. राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग रूपरेखा (एनआईआरएफ) | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 2.50 | ... | 2.50 | 5.00 | ... | 5.00 |
| 56. योजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता | 62.27 | ... | 62.27 | 97.99 | ... | 97.99 | 67.85 | ... | 67.85 | 75.00 | ... | 75.00 |
| 57. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण | 18500.00 | ... | 18500.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **जोड़-अन्य** | **18562.27** | **...** | **18562.27** | **102.99** | **...** | **102.99** | **70.35** | **...** | **70.35** | **80.00** | **...** | **80.00** |
| **जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय** | **52595.63** | **...** | **52595.63** | **39880.39** | **...** | **39880.39** | **40344.21** | **...** | **40344.21** | **42812.00** | **...** | **42812.00** |
| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण** | | | | | | | | | | | | |
| **केंद्र प्रायोजित योजनाएं** | | | | | | | | | | | | |
| **राष्ट्रीय शिक्षा मिशन** | | | | | | | | | | | | |
| 59. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) | 186.06 | ... | 186.06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम - उषा) | ... | ... | ... | 1814.94 | ... | 1814.94 | 895.00 | ... | 895.00 | 1815.00 | ... | 1815.00 |
| **जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं** | **186.06** | **...** | **186.06** | **1814.94** | **...** | **1814.94** | **895.00** | **...** | **895.00** | **1815.00** | **...** | **1815.00** |
| **अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण** | | | | | | | | | | | | |
| 61. वास्तविक वसूलियां | -548.43 | ... | -548.43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ***कुल जोड़*** | ***55385.36*** | ***7.32*** | ***55392.68*** | ***47608.71*** | ***11.06*** | ***47619.77*** | ***46473.79*** | ***8.56*** | ***46482.35*** | ***50067.68*** | ***10.27*** | ***50077.95*** |
| **ख. विकास शीर्ष** | | | | | | | | | | | | |
| **सामाजिक सेवाएं** | | | | | | | | | | | | |
| 1. सामान्य शिक्षा | 29026.92 | ... | 29026.92 | 22456.10 | ... | 22456.10 | 22440.72 | ... | 22440.72 | 22710.92 | ... | 22710.92 |
| 2. तकनीकी शिक्षा | 26044.20 | ... | 26044.20 | 19594.13 | ... | 19594.13 | 19465.61 | ... | 19465.61 | 21663.68 | ... | 21663.68 |
| 3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 134.43 | ... | 134.43 | 157.85 | ... | 157.85 | 151.65 | ... | 151.65 | 167.23 | ... | 167.23 |
| 4. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 4.77 | 4.77 | ... | 6.41 | 6.41 | ... | 3.48 | 3.48 | ... | 5.22 | 5.22 |
| 5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 2.55 | 2.55 | ... | 4.65 | 4.65 | ... | 5.08 | 5.08 | ... | 5.05 | 5.05 |
| **जोड़-सामाजिक सेवाएं** | **55205.55** | **7.32** | **55212.87** | **42208.08** | **11.06** | **42219.14** | **42057.98** | **8.56** | **42066.54** | **44541.83** | **10.27** | **44552.10** |
| **अन्य** | | | | | | | | | | | | |
| 6. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 3795.69 | ... | 3795.69 | 3715.41 | ... | 3715.41 | 4020.85 | ... | 4020.85 |
| 7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 179.81 | ... | 179.81 | 1504.94 | ... | 1504.94 | 643.27 | ... | 643.27 | 1355.00 | ... | 1355.00 |
| 8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | ... | ... | ... | 100.00 | ... | 100.00 | 57.13 | ... | 57.13 | 150.00 | ... | 150.00 |
| **जोड़-अन्य** | **179.81** | **...** | **179.81** | **5400.63** | **...** | **5400.63** | **4415.81** | **...** | **4415.81** | **5525.85** | **...** | **5525.85** |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | | संशोधित 2024-2025 | | | बजट 2025-2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल जोड़ | 55385.36 | 7.32 | 55392.68 | 47608.71 | 11.06 | 47619.77 | 46473.79 | 8.56 | 46482.35 | 50067.68 | 10.27 | 50077.95 |

(₹ करोड़)

| | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश** | | | | | | | | | | | | |
| 1. एडसिल इंडिया लि. | ... | 67.27 | 67.27 | ... | ... | ... | ... | 185.98 | 185.98 | ... | 203.00 | 203.00 |
| **जोड़** | **...** | **67.27** | **67.27** | **...** | **...** | **...** | **...** | **185.98** | **185.98** | **...** | **203.00** | **203.00** |

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है। प्रस्तावित बजट सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की खरीद, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद , प्रशिक्षण तथा परामर्शी प्रभारों आदि के लिए है जिनकी जरूरत मंत्रालय के दोनों विभागों के भीतर ई-गवरनैन्स कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण के लिए है। यह प्रावधान शिक्षा मंत्रालय के प्रस्तावित नए भवन के लिए भी है।

2. **हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई स्थित इसके चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्ष 1960 में की गई थी ताकि सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार एवं विकास किया जा सके। यह द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम और हिंदी लेखकों को पुरस्कार आदि प्रदान करने की योजनाएं चलाता है।

3. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1961 में की गई थी ताकि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार की जा सके। आयोग विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने की एक योजना चलाता है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके और यह क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्यस्तरीय शिक्षाविदों से समन्वय करता है।

4. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र:** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के मुख्य परिसर मैसूर एवं सात अन्य क्षेत्रीय भाषा केंद्रों (आरएलसी) की स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी जो क्रमश: भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे एवं सोलन में स्थित हैं। यह भारत सरकार की भाषा नीति के विकास/कार्यान्वियन में सहायता करता है और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भाषा विश्लेषण के क्षेत्र, भाषा शिक्षा-शास्त्र, भाषा तकनीक तथा समाज में भाषा के उपयोग के क्षेत्र में शोध करता है। यह विभिन्न भाषाओं के स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

5. **विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान:** इसमें यूनेस्को, पेरिस में भारत के स्थायी शिष्टमंडल (पीडीआई) पेरिस और न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास(सीजीआई) के लिए प्रावधान शामिल है।

6. **राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक:** यह योजना राष्ट्रीय शोध प्राध्यापकों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करने के संबंध में है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय शोध प्राध्यापकों को शोध कार्य जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

7. **विश्व स्तरीय संस्थान:** यह प्रावधान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दस विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करने के लिए है, इनकी स्थापना यथोचित समय में समर्थकारी विनियामक वातावरण उपलब्ध करवाते हुए की जाएगी जो उन्हें शिक्षण एवं शोध योजना में वैश्विक उत्कृष्टता स्तर प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

8. **प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास:** यह योजना जम्मू और कश्मीर के लिए वर्ष 2015 के पीएम विकास पैकेज में शिक्षा मंत्रालय का घटक है। इस योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

9. **भारतीय ज्ञान प्रणाली:** यह योजना एनईपी की अनुशंसाओं पर आधारित है। प्राचीन भारत से तात्विक ज्ञान और इसका आधुनिक भारत में योगदान और इसकी सफलताओं और चुनौतियों को जहां कहीं भी संगत हो पूरे स्कूल के पाठ्यक्रम में, विशेष रूप से जनजातीय ज्ञान और स्वदेशी एवं ज्ञान अर्जन के पारंपरिक तरीकों सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से सम्मिलित किया जाएगा।

10. **उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ग्लू अनुदान:** भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए औपचारिक परिप्रेक्ष्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से ग्लू ग्रांट को अलग रखा गया है, ताकि स्वायत्तता कायम रखते हुए बेहतर तालमेल बनाए जा सके।

11. **पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम - यूएसपी) योजना:** ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के योगदान के माध्यम से, केंद्र सरकार 4.5 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। छात्र ऋण में पुनर्भुगतान में चूक के विरुद्ध गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी न्यास के प्रबंधन के तहत एक छात्र ऋण गारंटी कोष सृजित किया जाएगा। यह ऋण देने वाली संस्थाओं को छात्र चूक से सुरक्षा प्रदान करेगा जिससे उन्हें अधिक छात्र ऋण देने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी गारंटी से छात्र ऋण पर ब्याज दर भी कम होगी। कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति घटक के माध्यम से, प्रति वर्ष कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रणाली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्कूलों से पास होने वाले छात्रों को 2 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। विलंब कम करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों को इ-बैंकिंग के माध्यम से सीधी संवितरित की जाती है। जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना घटक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य से बाहर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें देश के अन्य सहभागियों के साथ परस्पर बातचीत का अवसर मिलेगा जो उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में सहायता करेगा। हर वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने की परिकल्पना है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या की कमी से हुई बचतों के अध्यधीन, मेडिकल और इंजीनियरिंग धारा स्लॉट्स में अंतर-बदलाव का प्रावधान है। शिक्षा शुल्क और रख-रखाव भत्ते हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

12. **पीएम शोध अध्येतावृत्ति:** इस स्कीम के अंतर्गत उत्कृष्ट छात्र, जिन्होंने आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/आईआईआईटी से बी. टेक या एकीकृत एम. टेक या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एमएससी पूरी की है या अंतिम वर्ष में है, उन्हें आईआईटी/आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे दाखिला दिया जाएगा। ऐसे छात्र को, जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते है और चयन प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते है जैसाकि पीएमआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, प्रथम दो वर्षो के लिए प्रतिमाह 70,000 रूपये अध्येतावृत्ति दी जाएगी, तीसरे वर्ष प्रतिमाह 75,000 रूपये और चौथे तथा पांचवे वर्ष में प्रतिमाह 80,000 रूपये दिया जाएगा। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनके विदेश यात्रा व्यय पूरा करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक अध्येता को 2.00 लाख रूपये का शोध अनुदान दिया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 3,000 अध्येता (प्रतिवर्ष 1000) का चयन किया जाएगा।

13. **आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का उपयोग करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की परिकल्पना की गई है। इसमें आभासी प्रयोगशालाओं, ऑन लाइन परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से प्रयोग करने वालों को सुविधा प्रदान की जाती है और शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने और डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल आदि की मार्गदर्शिका और शिक्षकों की ऑन-लाइन उपलब्धता के लिए ई-शिक्षा हेतु उपयुक्त पैडागॉजी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है , शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं।

14. **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस):** इस योजना का लक्ष्य सरकारी सांख्यिकी प्रणाली को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण आवधिक शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए सुदृढ़ करना है ताकि संपूर्ण देश में शिक्षा क्षेत्र के निष्पादन एवं क्षेत्रीय भिन्नता का आकलन एवं समीक्षा की जा सके।

15. **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी):** इस योजना में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट के स्टोरेज एवं डिलीवरी हेतु एक डिजीटल निक्षेपागार के विकास की परिकल्पना की गई है। क्रेडिट का एक अकादमिक बैंक (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जिसमें विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजीटल तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके।

16. **राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल:** 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र, एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना करना और इन्हें आपस में जोड़ना। ओडीएस सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम पहुंच को सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन डिजाइन शिक्षा की पहुंच और विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन स्कूलों का नेटवर्क होगा और देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार के स्तर को बढ़ाएगा।

17. **उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल:** 'प्रौद्योगिकी अंतरण की राष्ट्रीय पहल' की पूर्ववर्ती स्कीम अब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल के नए रूप में शुरू की गई है । इस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय संयोजनों को सशक्त करने और सहयोगी और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु अनुसंधान पार्क के फ्रेमवर्क के माध्यम से उद्योग के साथ ऐसे संपर्कों को जोड़ने में अधिकांश भारतीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे।

18. **उन्नत भारत अभियान:** उन्नत भारत अभियान मिशन उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को विकास चुनौतियों की पहचान करके और सतत विकास को गति प्रदान करने के लिए उचित समाधान विकसित करके ग्रामीण भारत में लोगों के साथ कार्य करने में समर्थ बनाएगा। इसका लक्ष्य उभरते हुए व्यवसायों के लिए ज्ञान और पद्धतियां उपलब्ध कराकर समावेशी शैक्षिक प्रणाली और समाज के बीच महत्वपूर्ण चक्र स्थापित करना और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के बाबत कार्य करने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

19. **इंप्रिंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव):** यह योजना प्रमुख संस्थानों में शोध को उन क्षेत्रों में लगाने का इरादा रखती है जो देश के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है । इस पहल के अंतर्गत, 10 चयनित डोमेन के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। द्वितीय चरण इंप्रिंट-II को संशोधित कार्यनीति के साथ शुरू किया गया है।

20. **शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क):** शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना या स्पार्क स्कीम का उद्देश्य पहले चरण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने के लिए भारतीय संस्थानों तथा चुनिंदा 28 देशों से विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुसाध्य बनाते हुए भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की अनुसंधान स्थिति में सुधार लाना है।

21. **विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स):** इस योजना का उद्देश्य सतत और साम्यापूर्ण भारत के लिए विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का समेकन करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विज्ञान संकाय में अनुसंधान संस्कृति को पोषित करना, विज्ञान को स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि आदि प्रमुख केंद्रों में देश की जरूरतों तथा मुद्दों का निराकरण करने की दिशा में अभिमुख करना और वैज्ञानिक अनुसंधान में अतंरराष्ट्रीय बेंचमार्क हासिल करना स्कीम के प्रमुख उद्देश्य हैं।

22. **तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी (एमईआरआईटीई):** यह नई योजना है जिसका उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों के साथ एकीकरण करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों को पूरा करना है। इसे देश भर में लगभग 350 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरी संस्थानों और मान्यता-प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) होगी जिसके तहत आईडीए के अंतर्गत विश्वबैंक से विदेशी ऋण लिए जाएंगे।

23. **पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के समग्र क्षेत्र पर व्यापक ध्यान देना है। यह प्रभावशाली समन्वयन के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समेकित और सशक्त करेगा। यह वर्तमान सभी पहलों के बीच तालमेल विकसित करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा और शिक्षक/संकाय संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए

व्यापक साधन के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में एकल स्तर पर क्षमता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देने के लिए संस्थागत अवसंरचना को बढ़ाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 से इस योजना का नाम बदलकर क्रम संख्या 28 पर मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) कर दिया गया है।

24. **मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी):** वित्त वर्ष 2024-25 से क्रम सं. 27 पर पीएमएमएमएनएमटीटी का नाम मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के समग्र क्षेत्र पर व्यापक ध्यान (फोकस) देना है। यह प्रभावशाली समन्वयन के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समेकित और सशक्त करेगा। यह वर्तमान सभी पहलों के बीच तालमेल विकसित करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा और शिक्षण/संकाय संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए व्यापक साधन के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में एकल स्तर पर क्षमता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देने के लिए संस्थागत अवसंरचना को बढ़ाएगा।

25. **राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग फ्रेमवर्क:** वर्ष 2024-25 से यह योजना क्रम संख्या 55 पर अन्य केंद्रीय व्यय में परिवर्तित कर दी गई है।

26. **वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान):** इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और उद्यमियों का प्रतिभा पूल बनाना और उनके उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहन देना है जिससे देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके, पूर्ण गुणवत्ता् सुधार की गति को बढ़ाया जा सके और वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता को आगे बढ़ाया जा सके।

27. **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस):** प्रशिक्षुता कार्यक्रम योजना का नाम बदल कर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) कर दिया गया है।

28. **भारत में अध्ययन:** इस पहल का उद्देश्य विश्व के शैक्षणिक पहल में अपनी स्थिति को उन्नत करते हुए, समूचे विश्व के विद्यार्थियों के लिए भारत को एक अधिमान्य शैक्षणिक केन्द्र बनाना है। इससे पूरे विश्वभर से विद्यार्थी समुदाय के लिए यह सुविधाजनक हो पाएगा कि वे भारत में आकर यहां के शीर्ष संस्थानों की सर्वोत्तम अकादमिक शिक्षा को अनुभव कर सकें जिससे विश्वभर के विद्यार्थियों की गुणवत्तायुक्त बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

29. **आसियान अध्येतावृत्ति:** भारत और आसियान के बीच गहन और ऐतिहासिक संबंधों को मान्यता प्रदान करते हुए, इस स्कीम का उद्देश्य आसियान देशों के छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में एकीकृत पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने के लिए 1000 तक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है।

30. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई):** कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतःविषयक अनुसंधान करने, आधुनिक अनुप्रयोगों और बड़ी समस्याओं के समाधान के संबंध में शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए "मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया" दृष्टिकोण की आवश्यकता के लिए सतत विकास वाले शहरों के साथ बजट घोषणा 2023 के परिणास्वरूप इस योजना की परिकल्पना की गई है।

31. **शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** यह शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में चैम्पियन सेवा क्षेत्र के लिए सरकार की कार्य योजना का एक घटक है। इससे विभिन्न अभिज्ञात क्रियाकलापों के माध्यम से भारत की शिक्षा सेवाओं का अतंर्राष्ट्रीयकरण करने में सहायता मिलेगी।

32. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों के मानदंडों के समन्वयव और निर्धारण कार्य के लिए की गई थी। यूजीसी सभी पात्र विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है, साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सुस्पष्ट सहायता दी जाती है।

33. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1945 में परामर्श निकाय के रूप में हुई थी। इसे वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया था, जो 28 मार्च, 1988 से प्रभाव में आया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के नियोजित गुणवत्तापरक विकास एवं विनियमन तथा उचित रखरखाव के संबंध में ऐसी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना है।

34. **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयू):** केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है जिनकी स्थापना अनुसंधान और शिक्षणपरक सुविधाएं प्रदान करते हुए, अंतर-विषयक अध्ययन उपलब्ध कराते हुए और शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया में नवाचार के माध्यम से ज्ञान के सृजन और प्रसार को ध्यान रखते हुए की गई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम और उसके तहत निर्मित संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिशासित होते हैं।

35. **केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश:** केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के लिए आबंटन का प्रावधान करता है। वित्त वर्ष 2024-25 से इसे बजट लाइन में क्र.सं. 34 में विलयित कर दिया गया है।

36. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय:** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वाविद्यालयों के लिए आबंटन का प्रावधान करता है। वित्त वर्ष 2024-25 से इसे बजट लाइन में क्र.सं. 34 में विलयित कर दिया गया है।

37. **केंद्र सरकार द्वारा संवर्धित मानद विश्वविद्यालय:** विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा का कोई संस्थान जो अध्ययन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक उच्च मानकों पर कार्यरत है, उसे केन्द्र सरकार द्वारा (यूजीसी के परामर्श पर) मानद विश्वधविद्यालय के रूप में घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को मानद विश्व विद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्तर एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कुछ मानद विश्वविद्यालयों का निधियन यूजीसी द्वारा किया जाता है तथा कुछ का वित्तीय प्रबंधन निजी स्रोतों से होता है।

38. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना; संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना और शिक्षा अर्जन को बढ़ावा देने एवं ज्ञान का प्रसार करने के लिए काम करना है। इन प्रमुख संस्थानों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

39. **आईआईटी हैदराबाद (ईएपी):** आईआईटी हैदराबाद की ईएपी परियोजनाओं के लिए आवंटन का प्रावधान करता है।

40. **भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता:** भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना प्रबंधन में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और कन्सल्टेंसी के उद्देश्यों से उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में की गई थी। ये संस्थान, स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), अध्येतावृत्ति कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं।

41. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता:** इसमें एनआईटी और आईआईईएसटी के लिए प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को एनआईटीएसईआर अधिनियम के अंतर्गत शामिल करके बंगाल अभियांत्रिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर नामक राज्य विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में परिवर्तित किया गया है। ।

42. **भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता:** आईआईएसईआर भारत में एक अनूठी पहल हैं जहां शिक्षण और शिक्षा को आधुनिक शोध के साथ पूर्णत: एकीकृत किया गया है जो अनुसंधान के बौद्धिक रूप से जीवंत माहौल में जिज्ञासा और सृजनात्मकता दोनों को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक आईआईएसईआर एक स्वायत्त संस्था है जो अपने स्वयं के मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री देते हैं।

43. **भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता:** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) वर्ष 1909 में स्थापित किया गया था। कालांतर में आईआईएससी भारत में उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और शिक्षा के लिए शीर्ष संस्थान बन गया है।

44. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता:** इसमें इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर , कांचीपुरम और कुरनूल में स्थित केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए निधियों का प्रावधान शामिल है।

45. **सरकारी निजी भागीदारी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** आईटी पेशेवरों की मांग को देखते हुए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर और अधिक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं।

46. **मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान:** इस पहल में प्रतिभावान छात्रों को मानविकी में कार्यक्रमों को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसके शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। इस योजना के तहत शामिल किए गए परिषदों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएच), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएसईआर), शिमला, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद संस्थान (एनसीआरआई), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली हैं।

47. **भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान:** इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान और भारतीय भाषाओं में गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल हेतु प्रावधान शामिल हैं।

48. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई:** राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई (एनआईटीआईई) को वर्ष 1963 मे अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से यूएनडीपी की सहायता से भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईटीआईई को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

49. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर:** भारत सरकार ने भारत के चार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे चार प्रशिक्षुता बोर्ड/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित किये हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961, जिसे वर्ष 1973 और 1986 में संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत स्नातक/तकनीशियन/तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं को वास्तविक कार्यशील वातावरण में नौकरी पर एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण देकर नए इंजीनियरों की क्षमता में सुधार करना है।

50. **आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए):** आयोजना तथा वास्तुविद विद्यालयों को देश तथा विश्व के ऐसे संस्थानों में अपनी प्रकार के शीर्ष संस्थानों के रूप में माना जाता है जो मानव बस्तियों को उसके सभी पहलुओं में अभिकल्पित और विकसित करने में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। इस बजट लाइन में नए तथा पुराने एसपीए के लिए प्रावधान शामिल हैं।

51. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू):** इग्नू की स्थापना जनता के सभी वर्गों, विशेषकर लाभवंचित वर्गों को उच्चतर शिक्षा के प्रति पहुंच प्रदान करने, सतत शिक्षा प्रदान करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने; महिला, पिछडे क्षेत्रों, पहाडी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संसद अधिनियम के तहत 1985 में की गई थी। इग्नू का राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) के विकास में योगदान रहा है और इग्नू के कार्यकलापों के लिए सहायता से इतर इग्नू के माध्यम से राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

52. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर):** यह ऐसे संस्थानों की स्थापना की एक पहल है जिनका उद्देश्य देश के डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता सुधार से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करना भी है।

53. **अन्य संस्थानों को सहायता:** इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है – भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, प्रचार-प्रसार कार्यकलापों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (निएपा), अरूविले प्रबंधन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग तथा एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी, सीआईटी कोकराझार और जीकेसीआईईटी मालदा सहित अन्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना है।

54. **राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय:** यह बजट लाइन बजट घोषणा 2022-23 के परिणामस्वरूप देश भर के छात्रों को उनके समीप व्यक्तिगत अध्ययन के अनुभव को विश्व स्तरीय गुणवत्तापरक सार्वभौमिक शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए तैयार की गई है। यह सुविधा विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा आईसीटी प्रारूपों में उपलब्ध कराई जाएगी। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क हब-स्पोक मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें हब निर्माण की अत्याधुनिक विशेषता होगी। देश में ये श्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय व संस्था हब-स्पोक नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे।

55. **राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग रूपरेखा (एनआईआरएफ):** यह फ्रेमवर्क देश भर के संस्थानों का रैंक निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा प्रदान करती है। यह कार्यप्रणाली विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति की समग्र अनुशंसाओं व व्यापक जानकारी द्वारा तैयार की गई है।

56. **योजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता:** इसमें वैश्विक सहभागिता, प्रबंधन हेतु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, फार्मेसी शिक्षा व होटल प्रबंधन, अल्पसंख्यक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय निगरानी समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के लिए सेमिनार, समिति बैठक आदि व्यय/टीए/डीए, शास्त्री इंडो केनेडियन संस्थान युनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया को आयकर और सीमा शुल्क वापसी, युनेस्को के योगदान, युनेस्को कॉन्फ्रेंस के लिए प्रतिनियुक्ति और प्रतिनिधिमंडल, भारत में विदेशी प्रतिनिधिमंडल दौरा और युनेस्को उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए समिति की बैठक/सम्मेलन तथा प्रदर्शनी आयोजन, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, बैंकॉक, इंटरनेशनल टेक्निकल कॉर्पोरेशन शामिल हैं।

59. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):** यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की उच्चतर एवं तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य, व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं को तैयार करेंगे जिनमें विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता के मुद्दों को एक साथ हल करने के लिए परस्पर-संबद्ध कार्यनीति का प्रयोग किया जाएगा। केन्द्रीय निधियन को राज्य उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक,

प्रशासनिक और वित्तीय सुधार के साथ जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 से इस योजना का नाम बदलकर क्र.सं. 60 पर पीएम-उषा कर दिया गया है।

60. **प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम - उषा):** वर्ष 2024-25 से, इस योजना को क्रम संख्या 59 पर रूसा योजना से नाम बदल कर पीएम-उषा कर दिया गया है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका लक्ष्य राज्य के उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं का विकास करेंगे, जिससे विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता के मुद्दों को एक साथ हल करने के लिए पारस्पर -संबद्ध कार्यनिति का प्रयोग किया जाएगा। केंद्रीय निधियन को राज्य उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों के साथ जोड़ा जाएगा।